तारीख हुक्म	सवाईचन्द बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) सू.अ.अपील संख्या 371/2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.12.22	अपीलार्थी सवाईचन्द शर्मा पुत्र छगनलाल निवासी ग्राम आगोलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.2022 में उसके द्वारा प्रार्थी लोकायुक्त सचिवालय में परिवाद दर्ज संख्या प.स.एफ. 35/186 लोआस/2018 व राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में परिवाद डीबी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 7709/2018 के न्यायालय आदेश एवं डीबी कान्टेक्ट नम्बर 1067/18 व 19 न्यायालय आदेश की पालना व जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश क्रमांक 2967 दिनांक 20.05.2019 के आदेश की पालना में ग्राम पंचायत आगोलाई में एनएच–125 बस स्टेण्ड पर सड़क के मध्य बिन्दू से 18 मीटर (60 फीट) में हुए निर्माण को हटाने का आदेश दिया था, पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	

130-131
12/01/23

न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर
क्रमांक/कोर्ट/ / दिनांक..................
प्रतिलिपि संबंधित अभिलेख सहित
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.........
को प्रेषित हैं।

(1) SDO बालेसर
(2) सवाईचन्द

आज्ञा से
(हस्ताक्षर)
रीडर
कलक्टर जोधपुर